अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६ )

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

| आदेश की क्रम संख्य कीस तारीख १ | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २ | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३ |
|---|---|---|

**न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा**

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 34–42/2012

लालदाय देवी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

**–: आदेश :–**

प्रस्तुत ऑगनवाड़ी अपीलवाद अपीलकर्त्ता द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अन्दर वाद सं0 10/2012–13 में ज्ञापांक 1522–1, दिनांक 15.09.12 द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद संख्या 34/2012 दायर किया गया जो स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है ।

उक्त अपीलवाद ऑगनबाड़ी केन्द्र हरिजन टोला, केन्द्र संख्या–136 पंचायत घोंघेपुर, परियोजना महिषी से संबंधित है ।

वाद पुकारा गया उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी दिनांक 16.11.11 को घोंघेपुर पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र– अनुसूचित जाति टोला, केन्द्र संख्या 136 की जॉच की गई है जॉच के कम में पाया गया कि केन्द्र स्थल सहायिका मलभोगिया देवी के घर संचालित किया जा रहा है । जॉच के कम में सहायिका द्वारा केन्द्र स्थल दिखाया गया उसमें 4–6 बच्चे से भी कम बच्चे के बैठने की व्यवस्था है । बोर्ड लगा हुआ पाया गया तथा कमरे के सामने पशु बंधा हुआ था । ग्रामीणों से पूछताछ से उन्हें जानकारी मिली कि कभी–कभी सहायिका पोषाहार बनाकर 8–10 बच्चों को बुलाकर खिला देती है । ऑगनबाड़ी सेविका पोलियो में कार्यरत थी । ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई त्रुटि/अनियमितता के संबंध में ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती लालदाय देवी को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए नोटिश दिया गया

एवं निर्धारित तिथि 18.01.12 को सुनवाई की गई । सुनवाई के कम में आरोपी ऑगनबाड़ी सेविका उक्त तिथि को पोलियो का कार्यकम रहने के कारण अनुपस्थित रही । पुनः निम्न न्यायालय द्वारा अगली तिथि दिनांक 23. 01.12 निर्धारित की गई वो उक्त तिथि को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी उपस्थित हुए परन्तु आरोपी ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती लालदाय देवी अनुपस्थित रही ।

दिनांक 22.03.12 को 4.00 बजे अपराहन् में श्रीमती मीना देवी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा भी उक्त केन्द्र का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटिया पायी गयी :–

1. टी.एच.आर. का वितरण नहीं किया गया ।
2. केन्द्र पर बोर्ड नहीं लगा था ।
3. केन्द्र का चुल्हा कभी जला हुआ नहीं पाया गया।
4. श्री जगदीश दास महंथ द्वारा बताया गया कि केन्द्र कभी भी नहीं चलता है ।

ऑगनबाड़ी संचालन में बरती गई अनियमिततएँ एवं त्रुटियों के संबंध में आरोपी श्रीमती लालदाय देवी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों पर सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिश निर्गत की गई वो निर्धारित तिथि 25.05. 12 को सुनवाई की गई जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी एवं ऑगनबाड़ी सेविका उपस्थित हुई। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें लगाए गए आरोप को गलत बताया गया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त केन्द्र का कार्य नियमित रूप से चलते आ रहा है । ग्रामीण राजनीति के तहत साईन बोर्ड को विरोधियों द्वारा हटा दिया गया था । ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ पोषक क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा केन्द्र का संचालन नियमित रूप से किए जाने से संबंधित अभ्यावेदन निम्न न्यायालय के समक्ष दिया गया था । आगे यह भी कथन किया गया कि केन्द्र से संबंधित बच्चे, गर्भवती, एवं धातृ महिला को सरकार के द्वारा सभी सहायता उन्हें जानकारी देकर लाभान्वित करती है वो लगाए गए आरोप [redacted] सरासर गलत हैं ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में केन्द्र बन्द पाया जाना, केन्द्र स्थल सही जगह नहीं चलाया जाना, टी0एच0आर0 वितरण नही किया जाना, केन्द्र पर बोर्ड नहीं लगा हुआ पाया जाना, केन्द्र का चुल्हा कभी जला हुआ नहीं लगने का आरोप लगाया गया है। आरोपी सेविका द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष पोषक क्षेत्र के 42 ग्रामीणों का हस्ताक्षर /अंगुठा निशान की छाया प्रति मुखिया को संबोधित आवेदन की छाया प्रति के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी थी । उक्त आवेदन के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि आरोपी द्वारा एक दूसरे कागज पर दो–तीन व्यक्तियों द्वारा ही अँगूठे का निशान एवं हस्ताक्षर कर उक्त आवेदन के साथ उसकी छाया प्रति दिया गया है जो कार्यालय को दिग्भ्रमित करने का प्रयास प्रतीत होता है । आरोपी ऑगनबाड़ी सेविका को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुना । अभिलेखीय साक्ष्यों, निम्न न्यायालय अभिलेख में संधारित आदेश, स्पष्टीकरण, जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों का सुक्ष्म अवलोकन किया एवं पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा आरोपी ऑगनबाड़ी सेविका पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लगाए आरोपों पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं पाते हुए विभागीय ज्ञापांक 2862 दिनांक 4.11.11 के 10.8 के आलोक में श्रीमती लालदाय देवी ऑगनबाड़ी सेविका केन्द्र अनुसूचित जाति केन्द्र संख्या–136 पंचायत घोघेपुर, परियोजना महिषी को चयनमुक्ति संबंधी आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित है इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अस्तु अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

26/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

26/7/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।